न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—342/2016/223 (2016/00342)

1. देवीसिंह पुत्र भैरूसिंह, जाति रावत, नि0 ग्राम दुर्गावास, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर । ।

अपीलांट

बनाम

1. नारायणसिंह पुत्र माला,
2. भीमसिंह पुत्र भैरूसिंह,
3. शंकर सिंह पुत्र भैरूसिंह,
4. अशोक सिंह पुत्र भैरूसिंह,
5. नैनू सिंह पुत्र भैरूसिंह,

समस्त जाति रावत, निवासी दुर्गावास, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर दिनांक 18.6.2016 अंतर्गत वाद संख्या 99/2010.

उपस्थितः—

1. श्री समीर अहमद खान, वकील अपीलांट ।
2. श्री ईश्वर देवड़ा, वकील रेस्पो0 संख्या 2, 3 व 4.

निर्णय

दिनांकः—24.10.2018

1. यह अपील विद्वान जिला उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.6.2016 के विरूद्ध प्राप्त हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 में राजस्व वाद अंतर्गत स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध रेस्पोडेंटस/प्रतिवादीगण के इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा खेड़ा देवनारायण पटवार हल्का दुर्गावास भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र फतेहपुरिया तहसील ब्यावर में स्थित आराजी खाता संख्या 71 के खसरा नंबर 697 रकबा 15 बिस्वा एवं खसरा नंबर 702 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा स्थित है जो राजस्व अभिलेख जमाबंदी में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खातेदारी से दर्ज है तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर बराबर हिस्सा है । वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य कोई विवाद नहीं है केवल राजस्व रिकार्ड में खातेदार होने के कारण पक्षकार बनाया गया है परन्तु प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 की नियत खराब है और गलत तरीके से उक्त भूमियों पर कब्जा करने की नियत से उपरोक्त आराजी

पर पत्थर आदि डालकर पानी का हौद, दुकाने व पक्का निर्माण करने पर आमादा है तथा उपरोक्त भूमि पर जबरन कब्जा करने व वादी को बेदखल करने की धमकी दे रहे है । अतः वाद स्वीकार कर प्रतिवादी संख्या 2 से 5 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि उपरोक्त वर्णित आराजी पर वादी के खतेदारी हक व हिस्से की भूमि में जगरन प्रवेश नहीं करे, पत्थर इत्यादि डालकर निर्माण नहीं करे, कब्जा नहीं करे, यदि दौराने वाद कब्जा कर लिया जावे तो जरिये पुलिस इमदार कब्जा भी वादी को दिलाया जावे । उपरोक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नाटिस जारी किये गये । प्रतिवादीगण ने जवाब प्रस्तुत किया तथा तत्पश्चात् विचारण न्यायालय के समक्ष प्रकरण के विचाराधीन रहते प्रतिवादी संख्या 2 से 5 ने एक प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी का प्रस्तुत किया । अधी0न्याया0 ने प्रकरण को राजस्व लोक अदालत कैम्प दुर्गावास में रखकर दिनांक 18.6.2016 को प्रतिवादी संख्या 2 से 5 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार कर वादी/अपीलांट का वाद खारिज करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

3. अपील दर्ज रजिस्ट की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 संख्या 2 से 3 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में बहस उभयपक्ष अभिभाषकगण सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए बहस में कथन किया कि अपीलांट/वादी ने वाद अंतर्गत धारा 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत प्रस्तुत किया जिसमें रेस्पो0 प्रतिवादी संख्या 2 से 5 को पाबंद किये जाने का अनुतोष चाहा था तथा उपरोक्त वाद किसी भी रूप में बार्ड बाई लॉ नहीं है । अधी0न्याया0 ने गलत आधार पर वादी का वाद खारिज कर दिया जबकि वादी ने यह स्पष्ट रूप से अंकित किया था कि प्रतिवादी संख्या 2 से 5 वादी की भूमि पर जबरन हस्तक्षेप कर रहे है इसलिये प्रतिवादीगण को पाबंद किया जाना न्यायिक एवं आवश्यक है । अधी0न्याया0 ने आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के प्रार्थना पत्र को केवल इस आधार पर स्वीकार किया है कि पाबंदी के दावे के साथ बंटवारे का दावा नहीं है जबकि कानूनन प्रथम तो दावा दायरी के दिन प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 खातेदार काश्तकार ही नहीं थे इसलिये उनके विरूद्ध बंटवारा कराये जाने के बाबत् वाद प्रस्तुत किये जाने का कोई औचित्य नहीं था तथा द्वितीय एक रिकार्डेड खातेदार अन्य सहकाश्तकारों के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत कर सकता है परन्तु फिर भी अधी0न्याया0 ने गलत रूप से वादी के वाद को बिना पूर्ण सुनवाई के राजस्व लोक अदालत कैम्प दुर्गावास में खारिज कर दिया जो निरस्त किये जाने योग्य है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के तहत दावा केवल तभी खारिज किया जा सकता है जब केवल दावे को पढ़ने मात्र से यह लगता हो कि दावा बार्ड बाई लॉ है अथवा बिना वाद कारण के है । प्रतिवादीगण के जवाब के आधार पर अथवा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेजों के आधार पर वाद खारिज नहीं किया जा सकता है । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में यह कहीं भी अंकित नहीं किया है कि आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 में दिये गये कौन से क्लोज में वादी का वाद खारिज किया जा रहा है । इसके अभाव में अधी0न्याया0 के निर्णय को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अधी0न्याया0 ने आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 की मंशा के विपरीत वादी/अपीलांट का वाद खारिज किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना सकता है । अतः अपील अपीलांट

स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांक 18.6.2016 अपास्त किया जावे ।

5. जवाब बहस में विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 2 से 5 ने बहस में कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 2 से 5 विवादित भूमि के सहखातेदार काश्तकार है । वादी ने केवल मात्र स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है न कि बंटवारे का । वादी बिना विभाजन के दावा लाये सहखातेदार को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं करा सकता है । वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बॉर्ड बाई लॉ होने से अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार कर वादी/अपीलांट का वाद खारिज किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की गुंजाईश नहीं है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी खाता संख्या 71 के खसरा नंबर 697 व 702 में नारायणसिंह पुत्र माला का 1/2 हिस्सा एवं नामांतकरण संख्या 27 दिनांक 4.11.2010 के अनुसार देवीसिंह, भीमसिंह, अशोकसिंह, नैनसिंह पि0 भैरूसिंह बहिस्से बराबर दर्ज है जिसकी पुष्टि जमाबंदी संवत् 2065 से 2068 से होती है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि वादी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 188 राज0काश्त0अधि0 1955 बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर कथन किया था कि प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 5 द्वारा विवादित भूमि पर पत्थर डालकर पानी का हौद व पक्का मकान व दुकान का निर्माण चालू कर रखा है । इस संबंध में अधी0न्याया0 की पत्रावली में उपलब्ध तहसीलदार, ब्यावर की रिपोर्ट दिनांक 16.6.2011 में यह अंकित किया गया है कि मौका पर्चा दिनांक 14.7.2010 के अनुसार उक्त निर्माण दावा दायरी के पूर्व ही किया जा चुका है । हम अधी0न्याया0 के इस निष्कर्ष से भी सहमत है कि वादी ने केवल मात्र स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है । एक सहखातेदार दूसरे सहखातेदार को विभाजन का वाद प्रस्तुत किये बिना स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं करा सकता है । विभाजन के वाद के अभाव में वादी द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा के संबंध में प्रस्तुत वाद बार्ड बाई लॉ होने से अधी0न्याया0 ने प्रतिवादीगण संख्या 2 से 5 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार कर वादी/अपीलांट का वाद खारिज किया है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांक 18.6.2016 यथावत् रखे जाने योग्य पायी जाती है ।

7. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है एव ंविद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.6.2016 यथावत् रखा जाता है ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 24.10.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर